

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल enep@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक १७८९ स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 26/09/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/MERIT/HOLD/09	श्री प्रियंका सनोडिया पिता /पति श्री राजा राम पता- ग्राम मरझोर, गंगानगर, सिवनी जिला सिवनी 480661 मध्य प्रदेश (अन्य पिछडा वर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड हरदा जिला हरदा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टयपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....निरंतर.कृ.पृ.उ....

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अधिवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर..कृ.पू.उ....

(1)

क्रमांक 13244 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/09/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय हरदा की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री प्रियंका सनोडिया पिता /पति श्री राजा राम पता- ग्राम मरझोर, गंगानगर, सिवनी जिला सिवनी 480661 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

क्रमांक 2492-स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 26/09/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/MERIT/HOLD/06	सुश्री खुशबू बदेलवा पिता/पति श्री गिरीराज बदेलवा पता- सी-21/20, महाकाल वाणिज्य, नानाखेडा, उज्जैन जिला उज्जैन 456010 मध्य प्रदेश (अन्य पिछडा वर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड खण्डवा

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

17. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
18. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित

✓

(2)

सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अर्वाध समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

19. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
20. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
21. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
22. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
23. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
24. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
25. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(3)

26. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
27. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
28. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
30. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
31. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
32. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अर्धराज)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.पू.उ....

✓

(1)

क्रमांक 18247 स्था/अराज/प्र.अ./लोखायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/09/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संवालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०मैके०उपखण्ड खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित सुश्री खुशबू बदेला पिता/पति श्री गिरीराज बदेला पता- सी-21/20, महाकाल वाणिज्य, नानाखेडा, उज्जैन जिला उज्जैन 456010 मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नरती।


प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल enepn@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

भोपाल, दिनांक 26/09/23

कमांक 2793 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/MERIT/HOLD/05	सुश्री अंकिता पटेल पिता/पति श्री भगवान दास पटेल पता- वार्ड नं.03, कुम्हार मोहल्ला, पिपरिया, अनूपपुर जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश 484224 (अन्य पिछडा वर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड मण्डला

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित

(2)

सेवा) सेवा की शर्तें तथा गती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर होगी। परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

3. उक्त अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(3)

10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.क.अभियंता)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.कृ.पू.उ....

(4)

क्रमांक 13245 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/09/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय मण्डला की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड मण्डला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित सुश्री अंकिता पटेल पिता/पति श्री भगवान दास पटेल पता- वार्ड नं.03, कुम्हार मोहल्ला, पिपरिया, अनूपपुर जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश 484224 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


26/9
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल
ई-मेल eneph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 2494 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 26/09/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/MERIT/HOLD/07	श्री नागेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री कमलभान पटेल पता- म.नं.165, रजत नगर, रजत कॉम्प्लेक्स के पास, हुजूर जिला भोपाल, मध्य प्रदेश 462021 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का



(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत यश, रजपर्वेड के हल में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....निरंतर.कृ.पृ.उ....

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधानि)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.कृ.पू.उ....

(4)

कमांक 13246 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 26/09/23

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायसेन की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0मैके0उपखण्ड रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री नागेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री कमलभान पटेल पता- म.नं.165, रजत नगर, रजत कॉम्प्लेक्स के पास, हुजूर जिला भोपाल, मध्य प्रदेश 462021 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


26/9
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल enepn@nic.in दूरभाष क्र.0755-2779411-12

क्रमांक 2790 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 26/09/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल क्रमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/MERIT/HOLD/17	श्री प्रवीण अदलक पिता श्री महादेव अदलक पता- टेलिफोन कॉलोनी, कालापाथा विकास नगर, सोनी किराना स्टोर के पास, बैतूल जिला बैतूल, मध्य प्रदेश 460001 (अन्य पिछडा वर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड खुरई जिला खुरई

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार अरांतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित शैक्षणिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम 1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....निरंतर...कृ.पू.उ....

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अधिवान)
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.कू.पू.उ.....

(4)

क्रमांक 13243 स्था/अराज/प्र.अ./लोखायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/07/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खुरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय खुरई की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०उपखण्ड खुरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री प्रवीण अदलक पिता श्री महादेव अदलक पता- टेलिफोन कॉलोनी, कालापाथा विकास नगर, सोनी किराना स्टोर के पास, बैतूल जिला बैतूल, मध्य प्रदेश 460001 की ओर सूचनार्थ एवं पालनाथ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
'जल भवन' बाणगंगा रोड, भोपाल

ई-मेल enph@nic.in दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 2791 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23

भोपाल, दिनांक 26/09/23

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रावीण्य सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/MERIT/02	श्री गौरव अग्रवाल पिता श्री जगदीश अग्रवाल पता- 81, चौधरीयाना, बड़ा बाजार, झांसी, जिला झांसी, 81, चौधरीयाना, बड़ा बाजार, झांसी, जिला झांसी 284002 उत्तर प्रदेश (अनारक्षित)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड खुरई जिला खुरई

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

✓

(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।


3. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
4. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रावीण्य सूची अनुसार यथावत रहेगी।
11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

.....निरंतर...कृ.पू.उ....

✓

(3)

12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 26.09.2023 से 10 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।


(एस.के.अंधीवान)
प्रमुख अभियंता


✓

(4)

क्रमांक 132441 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/23
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/09/23

01. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खुरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय खुरई की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड खुरई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित श्री गौरव अग्रवाल पिता श्री जगदीश अग्रवाल पता- 81, चौधरीयाना, बड़ा बाजार, झांसी, जिला झांसी, 81, चौधरीयाना, बड़ा बाजार, झांसी, जिला झांसी 284002 उत्तर प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।


प्रमुख अभियंता